



24  
105

330

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट

कोर्ट रीवा (म0प्र0)

R 5072-II/17



समयलाल तिवारी तनय स्व0 रामस्वरूप तिवारी उम्र 75 वर्ष पेशा खेती  
निवासी ग्राम पुरैनी जागीर तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0 ---निगरानीकर्ता

बनाम

अरुण कुमार तिवारी पिता स्व0 श्री अवध शरण तिवारी उम्र 53 वर्ष पेशा  
नौकरी निवासी ग्राम पुरैनी जागीर तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0


---गैर निगरानीकर्ता

अधिकृत प्री सुरेश्वर सिंह  
तिवारी द्वारा पेशा/10-2-17

क्लर्क आफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर  
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी बिरुद्ध नायब तहसीलदार सर्किल  
बनकुइया तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0  
द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/अ-6-अ/2016-17  
मे पारित प्रारंभिक आदेश दिनांक 30.12.16

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू  
राजस्व संहिता सन 1959ई0



मान्यवर,

निगरानी के आधार उल्लिखित करने के पूर्व प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य  
निम्नानुसार है :-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सर्किल बनकुइया तहसील हुजूर जिला रीवा के समक्ष अरुण कुमार तिवारी गैर निगरानीकर्ता द्वारा एक आवेदन पत्र धारा 115, 116 म0प्र0 भू राजस्व संहिता एवं धारा 32 के तहत इस आशय का पेश किया गया कि भूमि खसरा नम्बर 501 पैत्रिक भूमि है, जो बंटवारे मे आवेदक को अनावेदक से प्राप्त हुई है। खसरे मे आवेदक का नाम बतौर भूमिस्वामी वर्ष 2008-09 तक

M

*[Handwritten signature]*

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

105

प्रकरण क्रमांक R5072/2017 / रीवा / भू-रा0

जिला-रीवा

समयलाल तिवारी/ अरूण कुमार तिवारी

(1)	(2)	(3)
85/8/17	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी ना0 तहसीलदार, सर्किल बनकुइयां तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 13/अ-6-अ/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 30.12.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.10.19को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p>M</p> <p>(महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य</p>	